

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आ:0एल0आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

श्रीमती मुलाकिन राशन कार्ड, काद्या कार्ड, पहचान पत्र के अभाव में  
पुत्र सुलतान श. डालू के अभाव में सुलतान श.  
डालू नाम किया जाता गत्वानित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिशेष की जाती है / नहीं की जाती है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

27/5/23

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

चन्दा पालीवाल

सरपंच

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुन्देलखण्ड (राज.)

पं.स. उदयपुरवाटी (बुन्देलखण्ड)

आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामत के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	झंझारना नगर	2075-78	412	सुलतान पुत्र डालू	सुलतान पुत्र डालू

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक - राजस्व/2020/ प्रतिलिपि -

146-159

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्तु पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचनाथ।

27.5.23

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

27/5/23

27.5.23

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी